फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	5/11/24	[illegible]वली [illegible] दौरे/अन्य [illegible] कार्य बहिष्कार [illegible] कार्य [illegible] नहीं की जा सकी। के [illegible] मी दिनांक 8/11/24 पत्राव[illegible] ..... को पेश हो।	
	8/11/24	पत्रावली पेश हुई/P.O. साहब दौरे/अन्य [illegible] वकुलाय द्वारा कार्य बहिष्कार [illegible] के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली आ[illegible] दिनांक 29/11/24 ..... को पेश हो।	
	29/11/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं. (18) पूर्व में उपस्थित किन्तु आज अनुपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा मूलवाद में तामील रसीदें पेश की गयी। मूल वाद में अप्रार्थी सं. 1 लगा 16, 18, 19, 20 के विरुद्ध सम्यक तामील मानी जाकर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। अप्रार्थी सं. 17 द्वारा जवाब पेश किया जा चुका है। परन्तु आज अप्रार्थी सं. 17 भी अनुपस्थित है। अतः अप्रार्थी सं. 17 के विरुद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड	

के

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/ प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त विवादित खसरा नम्बर 50 रकबा 11.6334 हैक्टर स्थित ग्राम खिजूरिया तिवाडियान पटवार हल्का खतैपुरा भू.नि. देवगाँव तहसील तूंगा जिला जयपुर के संबंध में अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी से संबंधित मूलवाद 195/2024 उनवान गिरधारी बनाम बुद्धाराम के तार्फैसला वाद के उक्त खसरा नं० पर मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) 29/11/24	